न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या
105/2021

फैसल दिनांक
17.01.2022

अनवान

राजू गोद पिता उदयलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ....वादी

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. अमरलाल पिता रामा कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. मांगीलाल पिता रामा कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. काना पिता बंशी कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. केसर पुत्री बंशी कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. गीता पुत्री बंशी कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. रुकमणी पत्नि बंशी कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. लालूराम पिता बंशी कहार उम्र वयस्क निवासी कहारो की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.........प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम</u>

<u>बाबत खातेदारी घोषणा,इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित-श्री नरेन्द्र सिंह पंवार वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के गोद पिता स्व0 उदयलाल जी की पत्नि प्रतापी बाई ने ग्राम बालियो की ढाणी पटवार हल्का भालुण्डी तहसील भदेसर की खाता सं. 13 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1बीघा 3 बिस्वा पूर्व खातेदार से क्रय की जो उक्त खरीदशुदा भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 191 दिनांक 21.07.2008 से वादी के गोद पिता यानि वादी की गोद माता प्रतापी के नाम पर जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में अंकित की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

गई। उक्त आरजीयात के हाल खाता सं0 14 पर दर्ज आराजी नम्बर 5 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने। इसी प्रकार खाता सं. 06 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 4 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी के गोद माता प्रतापी पत्नि स्व0 उदयलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त दोनो खातो वाली आरजीयात पर वादी प्रतापी के गोद पुत्र की हैसियत से उनके जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि स्व. उदयलाल जी के कोई जायंदा संतान नहीं होने कारण स्व. उदयलाल जी ने अपने जीवनकाल में अपने भाई के पुत्र वादी राजू को सामाजिक एवं धार्मिक रिति रिवाजनुसार संवत् 2049 श्रावण शुदि पंचमी के दिन लहरिया बंधवा कर समाज के मौतबिर लोगो की मौजूदगी में गोद लिया तभी से वादी स्व. उदयलाल जी व उनकी पत्नि प्रतापी के गोद पुत्र के रूप में जाना एवं पहचाना जाता रहा है तथा गोद दिनांक से ही वादी स्व. उदयलालजी एवं उनकी पत्नि प्रतापी की सेवा चाकरी करता चला आ रहा है। तथा दोनो की मृत्यु के उपरांत होने वाले समस्त धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम भी वादी ने ही बतौर पुत्र की हैसियत से सम्पादित किये है।

यहकि वर्ष 2010-11 में भू प्रबंध कर्मचारियो ने तहसील भदेसर का भूप्रबंध किया इस दोरान भू-प्रबंध कर्मचारियो ने वादी की गोद माता प्रतापी की ग्राम बालियो की ढाणी पटवार हल्का भालुण्डी तहसील भदेसर की खाता सं. 13 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के नये खाता सं. 14 की आराजी नम्बर 5 रकबा 0.25 हैक्टेयर बनाते हुए वादी की गोद माता का उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से प्रतापी का नाम विलोपित करते हुए प्रतापी की आराजी को प्रतिवादी संख्या 02 और 03 के नाम दर्ज कर दी जिससे वादी उक्त आराजीयात को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। इसके साथ ही वादी अपनी गोद माता प्रतापी के नाम खाता संख्या 6 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 4 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतापी का 1/4 हक हिस्से वाली भूमि भी वादी गोदनामा के आधार पर अपने नाम खातेदारी में घोषित कराने का अधिकारी होने से वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

यहकि वर्ष 2010-11 में भू प्रबंध कर्मचारियो ने तहसील भदेसर का भूप्रबंध किया इस दोरान भू-प्रबंध कर्मचारियो ने वादी की गोद माता प्रतापी की ग्राम बालियो की ढाणी पटवार हल्का भालुण्डी तहसील भदेसर की खाता सं. 13 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के नये खाता सं. 14 की आराजी नम्बर 5 रकबा 0.25 हैक्टेयर बनाते हुए वादी की गोद माता का उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से प्रतापी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर. जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

विलोपित करते हुए प्रतापी की आराजी को प्रतिवादी संख्या 02 और 03 के नाम दर्ज कर दी जिससे उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का नाम विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है।

यह कि वादी अपने गोद माता पिता की उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम अंकित कर दिये जाने से प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर वादी को मौके से बेदखल कर आरजीयात अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त वाली आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे तदर्थ वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है।

अतः प्रार्थना है किः-

(अ) वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बालियो की ढाणी पटवार हल्का भालुण्डी तहसील भदेसर की खाता संख्या 13 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के नये खाता सं. 14 की आराजी नम्बर 5 रकबा 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि में राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उक्त आरजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी प्रकार वादी की गोदनाम प्रतापी के नाम दर्ज खाता संख्या 06 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 4 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतापी का 1/4 हक हिस्सा भी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान करावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जावे कि प्रतिवादीगण वादी के गोद माता पिता की आराजीयात जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर. जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

नुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार भदेसर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमीश्नरी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भदेसर द्वारा क्रमांक/राजस्व/2022/43 दिनांक 10.01.2022 से प्राप्त हुई। प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालियों की ढाणी पटवार हल्का भालुण्डी तहसील भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की गत एवं वर्तमान रेकार्ड से जांच की गई जिसके अनुसार आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि बिकाव से नामांतरकरण संख्या 191 दिनांक 21.07.2008 से श्रीमति प्रताबी पत्नि श्री उदयलाल कुम्हार 23/24, मांगीबाई पत्नि रामलाल 1/24 कहार सा0 कहारो की ढाणी के नाम दर्ज हो कर जमाबंदी सवत् 2066-2069 के खाता संख्या 18 पर दर्ज रेकार्ड है। बाद सेटलमेंट मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 05 रकबा 0.25 हैक्टेयर श्री अमरलाल पुत्र रामा 1/3 कहार सा. कहारो की ढाणी, श्रीमति हेमलता पत्नि राजेन्द्र 2/3 टांक सा. भदेसर के नाम सेटलमेंट की त्रुटि से दर्ज हो गया। अतः अमरलाल पुत्र रामा कहार एवं हेमलता पत्नि राजेन्द्र टांक का नाम विलोपित किया जाकर प्रताबी बाई पत्नि उदयलाल कुम्हार 23/24 सा. भदेसर, मांगीबाई पत्नि रामलाल 1/24 कहार सा. कहारो की ढाणी के नाम शुद्धि से खातेदारी में दर्ज किये जाना उचित है। कमीश्नर तहसीलदार भदेसर द्वारा रिपोर्ट के साथ निम्न प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किये गये।

1. ग्राम बालियों की ढाणी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 खाता सं. 14
2. सेटलमेंट से पूर्व नामांतकरण संख्या 191 की फोटो प्रति
3. मिलान क्षैत्रफल की फोटो प्रति
4. गत जमाबंदी संवत 2066-2069 खात सं. 18 की फोटो प्रति
5. जमाबंदी आधार वर्ष 2069-2072 खाता सं. 14 की फोटो प्रति
6. जमाबंदी सवंत् 2058-2061 खाता सं. 13 की फोटो प्रति

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयाल वादी के गोद माता पिता की है जो भू प्रबंध अधिकारियों की त्रुटि के वादी के गोद माता प्रतापी बाई का नाम विलोपित कर दिया। वादी की गोद माता की मृत्यु हो जाने से वादी उक्त आराजीयात को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः खाता संख्या 14 आराजी नम्बर 05 में प्रतिवादी सं. 02 तथा हेमलता पत्नि राजेन्द्र टांक सा. भदेसर का नाम हटाया जावे एवं वादी की गोद माता की मृत्यु हो जाने से खाता संख्या 06 में प्रताबी के नाम दर्ज 1/4 हक हिस्से को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादी के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम बालियो की ढाणी प0ह0 भालुण्डी की साबिक खाता सं. 13 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी की गोद माता प्रताबी पत्नि उदयलाल जाति कुम्हार के नाम दर्ज रेकार्ड थी। लेकिन वक्त सेटलमेंट द्वारा उपरोक्त साबिक आराजीयात का नवीन आराजीयात पर प्रताबी की खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया। तहसीलदार भदेसर की मौका रिपोर्टानुसार नवीन आराजी नम्बर 5 पर वादी की गोद माता प्रताबी की मृत्यु के बाद वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे वादी का स्व0 उदयलाल एवं स्व0 प्रताबी बाई का गोदी पुत्र होना साबित है। तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर नवीन खाता सं. 14 पर अंकित आराजी संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 02 एवं हेमलता पत्नि राजेन्द्र टांक सा0द भदेसर का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी की गोदमाता जो कि साबिक रेकार्ड अनुसार उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार थी की मृत्यु हो जाने से वादी को आराजी नं0 05 में प्रताबी का बनने वाले 23/24 हक हिस्सा शुद्धि से वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही खाता सं. 06 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 3 रकबा 0.46 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 4 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी के गोद माता प्रतापी पत्नि स्व0 उदयलाल के नाम दर्ज 1/4 हक हिस्से की कृषि भूमि को भी वादी राजू गोद पिता उदयलाल जाति कुम्हार के नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner